

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 17/2024-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 27 सितंबर, 2024

का.आ... (अ) .- केंद्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए .-

(क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 118, धारा 142, धारा 148 और धारा 150 प्रवृत्त होगी, नियत करती है; और

(ख) 1 नवंबर, 2024, को ऐसी तारीख के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 114 से धारा 117, धारा 119 से धारा 141, धारा 143 से धारा 147, धारा 149 और धारा 151 से धारा 157 प्रवृत्त होगी, नियत करती है।

[सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

(रौशन कुमार)
अवर सचिव